



क्रमांक 1304 / 2024

शहडोल, दिनांक : 17.09.2024


प्रति,

श्री राकेश कुमार प्रजापति  
(एम. एस-सी. (वनस्पतिशास्त्र) तृतीय सेमेस्टर)  
पिता श्री रामप्रकाश प्रजापति  
पोस्ट – पथरेही, तहसील ब्यौहारी  
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय: निष्कासन पत्र (रेस्टीकेट) किए जाने बाबत।

दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2024 की दरम्यानी रात्रि में एन्टीरैगिंग हेल्पलाइन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिल्ली से प्राप्त सूचना एवं एस.डी.एम. सोहागपुर द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावास में समस्त घटना की जांच के दौरान यह पाया गया कि आपके द्वारा कनिष्ठ विद्यार्थियों की रैगिंग में आपको दोषी पाया गया है।

एन्टीरैगिंग हेल्पलाइन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश एवं विश्वविद्यालय एन्टीरैगिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर आपको दिनांक 17.09.2024 से दिनांक 23.09.2024 तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है। भविष्य में यदि इस घटना की पुनरावृत्ति होती है तो आपके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कर मामला पुलिस को सौंपा जावेगा।

  
(डॉ. आशीष तिवारी)  
कुलसचिव


पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय  
शहडोल म.प्र.

पृ. क्रमांक 1305 / 2024

शहडोल, दिनांक :17.09.2024

प्रतिलिपि –

1. एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन, यू.जी.सी. की ओर सूचनार्थ।
2. एस.डी.एम. शहडोल की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग, शहडोल की ओर सूचनार्थ।
4. छात्रावास अधीक्षक, अनुसूचित जाति पीएमटी छात्रावास, पचगांव रोड, विचारपुर, शहडोल की ओर सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र की ओर सूचनार्थ।
6. संयोजक, विश्वविद्यालय एन्टीरैगिंग कमेटी की ओर सूचनार्थ।
7. वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

  
(डॉ. आशीष तिवारी)  
कुलसचिव

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय  
शहडोल म.प्र.